बहरोड़ (को...

16/01/25 आज यह पत्रावली पेश हुयी। वकुलाय उभय। कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस की गई। वादी व प्रतिवादी वकील द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ती पेश नही की गई। कुर्रेजात रिपोर्ट को सही होना स्वीकार किया गया। लिहाजा दरख्वास्त हक वाद पत्र को मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शा० कि किया गया। पत्रावली फैसल शुमालशुदा नम्बर से कम हो। बाद प्रति आदेश दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

22/01/25 आज यह पत्रावली वकील वादी के आवेदन पेश पर धारा 152 CPC पर तलब की गई। प्रार्थी वादी ने अपने आवेदन में अंकित किया है कि निर्णय व पत्रों में डिक्री में मुकदमा नम्बर गलत अंकित हो गया। व ख० नं० 103 का रकबा अंकित नही हुआ है व प्रारम्भिक शब्द गलत

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (को... बहरोड़)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अंकित हो गया। प्रा० पत्र स्वीकार कर उपरोक्त त्रुटियों को शुद्ध किया जावे।

हमने वकील वादी को सुना व पत्रावली का अध्ययन किया। पाया गया कि वाद के निर्णय के शीर्षक के वाद नम्बर गलत अंकित है। आदेशिका के अनुतोष के क्रम सं० 02 सज्जनसिंह के हिस्से की आराजी ख०नं० 103 का रकबा अंकित नहीं किया है एव अंतिम लाइन के अंतिम निर्णय के बजाय प्रारम्भिक निर्णय अंकित किया है। अतः प्रार्थी का यह प्रा०पत्र स्वीकार कर निर्णय के शीर्षक में वाद सं० 23/24 के बजाय 67/2020 अंकित किया जाकर एव सज्जन सिंह के हिस्से की आराजी खसरा 103 का रकबा 0.33 हैक्टेयर पायेगा मुताबिक हुक्म रकबा शब्द को गोल के एव अंत के प्रारम्भिक संशोधन किया जावे। इसी प्रकार संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली पूर्ववत दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

19/11/24	वकील पक्षकार उप०। अप्रार्थी नम्बर 04 के वकील द्वारा बहस की गई। बहस वकील सुनी गयी। शेष की तलबी नोट हेतु [illegible] व आदेश हेतु दिनांक 26/11/24 को पेश हो।
	उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)
26/11/24	वकील पक्षकार उप०। वास्ते आदेश हेतु दिनांक 27/11/24 को पेश हो।
	उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)
27/11/24	वकील उप०। पत्रावली हमारे समक्ष आदेश हेतु पेश की गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस वकील पर मनन किया गया। अतः आज पत्र [illegible] पारित किया जाता है। पृथक निर्णय अलग से लिखकर हस्ताक्षर किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार जमा हो। बाद डायरी शुद वाद [illegible] रहे।
	उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ कोटपूतली–बहरोड़ राज.

पीठासीन अधिकारी :– रामकिशोर मीना–II (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना नं० :– 52 / 2024
दायर दिनांक :– 08.07.2020
निर्णय दिनांक :– 27.11.2024

उनवान

1. सुनिता देवी पत्नी कृष्ण जाति अहीर तहसील बहरोड़।
2. भारत पुत्र कृष्ण जाति अहीर तहसील बहरोड़।
3. भानू पुत्र कृष्ण जाति अहीर निवासी बहरोड़ तहसील बहरोड़ वादी स0 2 व 3 नाबालिग जरिये सरपरस्त माता श्रीमती सुनिता देवी खुद।

..... प्रार्थीगण / वादीगण

बनाम

1. नारायणी देवी पत्नी बनेसिंह जाति अहीर तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़।
2. रामनिवास पुत्र सुक्षी बनेसिंह जाति अहीर निवासी बहरोड़।
3. रामभगत पुत्र बनेसिंह जाति अहीर निवासी बहरोड़।
4. सज्जनसिंह पुत्र रामपत जाति अहीर निवासी बहरोड़।
5. उप पंजीयक महोदय बहरोड़।
6. तहसीलदार बहरोड़ बहैसियत भू–अभिलेख अधिकारी

.....अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक व तकसीम आराजी एवं हुक्म ईमतनाई दवामी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955व आदेश 39 नियम 1 व 2 जा0 दी0

उपस्थित :–

1. श्री मोहनलाल गुप्ता अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री अनिल कुमार अधिवक्ता अप्रार्थी।

–: निर्णय :–

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हमारे समक्ष पेश हुई। फरीकेन के वकुलाय उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त अनुवान का दावा श्रीमान के समक्ष समस्त वजुहाज के साथ पेश किया जा रहा है जिसमें कामयाबी की पूरी पूरी आशा है चूकि मूलवाद के निस्तारण में समय लगेगा। इसलिए यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया जा रहा है जिसे मूल दावा का जुज समझ जाकर उसके साथ पढा जावें। आराजी खसरा नम्बर हाल 103 रकबा 0.69 है0 वाके ग्राम जयसिंहपुरा तहसील बहरोड़ में स्थित है। जिसे आगे चलकर वाद पत्र में आराजी मुतनाजा से सम्बोधित किया जावेगा। यह है कि खसरा नम्बर 103,152,153,165 वाके ग्राम जयसिंहपुरा के 1 / 8 हिस्से का खातेदार हम वादीगण के पति / पिता कृष्ण पुत्र बनेसिंह के नाम से दर्ज है। आराजी मुतनाजा हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच बिना बटी हुई सहखातेदारी काश्त की आराजी है। इसलिए कानूनन

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

आराजी मुतनाजा के किसी भी खातेदार को आराजी मुतनाजा का बिना विधिवत रूप से बंटवारा करवाये किसी भी विशेष खसरा नम्बर व भू–भाग को अपना बताकर उसे दिगर जगह मुन्तकिल करने या उस पर जबरन कब्जा कर उस पर किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण करने का कोई अधिकार नही है। लेकिन फिर भी प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा को बिना विधिवत रूप से तकासामा करवाये अच्छी से अच्छी आराजी पर जबरन कब्जा कर उसे अपनी बताकर बाला बाला दिगर जगह मुन्तकिल करने या उस पर कच्चा पक्का निर्माण कर मौका की स्थिती मे परिवर्तन करने की कौशिश कर रहे है तथा हम वादीगण को हमारे हिस्से की भूमि पर काश्त करने व उपयोग उपभोग मे दिक्कत बाजी करते है। हम वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को कई बार कह चुके है कि अगर आप आराजी मुतनाजा मे अपने हिस्से पर निर्माण करना चाहते है या उसको दिगर जगह बेचान करना चाहते है तो पहले आराजी मुतनाजा का विधिवत रूप से तकासामा करवाले उसके बाद आपके नाम जो भूमि दर्ज हो उसका बेचान करो या उस पर निर्माण करो हमे कोई आपत्ति नही होगी। लेकिन प्रतिवादीगण नही मान रहे है और दिनांक 06.07. 2020 को धमकी दी है कि हम आराजी मुतनाजा का किसी प्रकार से भी बंटवारा/तकासमा नही करवायेगें और हमारी मर्जी में होगी उस भूमि पर जबरन कब्जा कर उसको अपनी बताकर दिगर जगह बेचान करेगे और अच्छी से अच्छी आराजी पर कब्जा कर उस पर निर्माण करेगें तुमको जो करना हो सो करलो। इसलिए हम वादीगण द्वारा यह दावा इस्तकरार हक व तकसीम आराजी का पेश करना आवश्यक हुआ है। आराजी मुतनाजा हम वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच बिना बटी हुई सहखातेदारी की आराजी है। लेकिन प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा का बिना विधिवत रूप से तकासमा करवाये ही अच्छी से अच्छी आराजी को अपनी बताकर उसे बाला बाला दिगर जगह मुन्तकिल करना चाहते है व हम वादीगण को हमारे हिस्से की भूमि पर काश्त करने मे हर समय दिक्कत बाजी करते है। प्रतिवादीगण जबरदस्त व मुठमर्द किश्म के व्यक्ति है जो हम वादीगण के पति/पिता की मृत्यु के बाद से ही हमे तंग व परेशान करते है व आराजी मुतनाजा मे हमे हमारे हिस्से पर काश्त करने में हर समय दिक्कत बाजी करते है और अब आराजी मुतनाजा का बिना विधिवत रूप से तकासामा कराये ही अच्छा से अच्छा भाग पर जबरन कब्जा कर उसे अपना बताकर दिगर जगह मुन्तकिल करने की धमकी दे रहे है। अगर प्रतिवादीगण अपने इस कुण्ठित इरादे मे कामयाब हो गये तो हम वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी व अपने जायज हक हकूको से वंचित रहना पडेगा व बहुवादिता बढेगी ऐसी सूरत मे प्रतिवादीगण को इस आशय की हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जावे कि वो जब तक आराजी खसरा नम्बर हाल 103 रकबा 0.66 है0, 152 रकबा 0.64 है0, 153 रकबा 0.58 है0, 165 रकबा 0.69 है० वाके ग्राम जयसिंहपुरा तह० बहरोड जिला अलवर राज० का कुर्रे रिपोर्ट के आधार पर विधिवत रूप से अलग–अलग तकासामा होकर अलग–अलग खाताबन्दी नही हो जावे तब तक आराजी मुतनाजा के किसी भी भाग व खसरा नम्बर पर जबरन कब्जा कर उसे अपना बताकर दिगर जगह रहन बय हिबा व अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही करे ना ही हम वादीगण को आराजी मुतनाजा मे हमारे हिस्से की भूमि पर फसल बोने काटने व हर प्रकार से उपयोग व उपभोग करने मे स्वंय व अपने परिवार के सदस्यो ऐजेन्टान, नौकरान द्वारा किसी प्रकार की दिक्कत बाजी पैदा नही करे तथा आराजी मुतनाजा की बाबत हर मुन्तकिली दस्तावेजात को तस्दीक व पंजीबद्ध उप पंजीयक बहरोड करता है इसलिए उप पंजीयक बहरोड को पाबन्द किया जावे कि उनके समक्ष आराजी मुतनाजा की बाबत प्रतिवादी सं० 1 लगा० 4 द्वारा कोई भी मुन्तकिली दस्तावेज पेश करने पर उनको तस्दीक व पंजीबद्ध नही करे। मौका व रिकार्ड की यथास्थिती बनाई रखे। बाज आवे।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी नं. 4 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी का मौके पर बंटवारा किया हुआ है। पक्षकारो के मध्य कभी कोई फौजदारी व सिविल कार्यवाही नही हुयी ना ही कोई खातोदार के बिच कोई झगडा हुआ सभी खातेदार अपने अपने हिस्से पर शान्ति पूर्व काश्त कर रहे है। प्रार्थना पत्र काबिबल खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकुलाय की बहस सुनी गई। वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। आज फरिकेन के वकुलाय ने विवादित आराजी को मौके पर कुर्रेजात कायम कर बंटवारा करने की सहमति दी गई जिस सूरत में न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। अब इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नही रहता है। अतः यह प्रार्थना पत्र बाबत आराजी खसरा नम्बर 103,152,153,165, वाके ग्राम जयसिंहपुरा तहसील बहरोड़ खारिज किया जाता है। दिनांक 08.7.2020 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को अपास्त किया जाता है।

आज दिनांक 27.11.2024 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रामकिशोर मीना, IAS
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस.)
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ कोटपूतली–बहरोड़